

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

स्वीकृत्यादेश

पत्रांक: यो09 / S.H.A-12/2023
सेवा में,

54 स्व/0 / यो0वि0, पटना, दिनांक 29 जनवरी, 2025

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय: मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अन्तर्गत जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, खगड़िया एवं शिवहर के भवन एवं अन्य संरचनाओं की मरम्मत संबंधी कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में तकनीकी अनुमोदित कुल प्राक्कलित राशि मो0 69,40,900.00 (उनहत्तर लाख चालीस हजार नौ सौ) रुपये मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

विकसित बिहार के सात निश्चय के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में भवन निर्माण विभाग के माध्यम से जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र का निर्माण कराया गया है।

2. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, खगड़िया एवं शिवहर में भवन एवं अन्य संरचनाओं की मरम्मत संबंधी कार्य हेतु अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार द्वारा संबंधित अधीक्षण अभियंता से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु समर्पित किया गया है, जो इस प्रकार है :-

क्र0	जिला	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि
1	2	3	4
1	खगड़िया	Construction of Approach road, Supply and Installation Furniture of DRCC Building under Khagaria District for the year 2024-25	42,09,300/-
2	शिवहर	Construction of Boundary wall, Campus Development and Repairing works of DRCC Block Sheohar in District Sheohar	27,31,600/-
कुल			69,40,900/-

3. उपर्युक्त वर्णित परिपेक्ष्य में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र खगड़िया एवं शिवहर के नाम के सामने अंकित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल मो0 69,40,900.00 (उनहत्तर लाख चालीस हजार नौ सौ) रुपये के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है।

4. उपर्युक्त योजना का क्रियान्वयन संबंधित जिला के कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु राशि जिला योजना पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के कार्य पूर्ण कराने के उपरांत मापीपुस्त के अनुसार राशि की मांग संबंधित जिला योजना पदाधिकारी से की जाएगी। जिला योजना पदाधिकारी द्वारा मांग के अनुरूप जिला पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करते हुए CFMS के माध्यम से राशि संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

5. उपर्युक्त योजना की कुल प्राक्कलित राशि मो0 69,40,900.00 (उनहत्तर लाख चालीस हजार नौ सौ) रुपये का वहन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट शीर्ष "मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष 200-अन्य कार्यक्रम, मांग संख्या 35, उप शीर्ष 0117-मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना 35-2235602000117" के अन्तर्गत विषय शीर्ष 27-02 अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य के तहत उपबंधित राशि से किया जाएगा।

6. आवंटित राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में अन्य योजनाओं पर नहीं किया जाएगा।

7. उक्त कार्य पूर्ण करने की समय अवधि 4 माह होगी। निरधारित समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण करते हुए पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित जिला योजना पदाधिकारी द्वारा विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाएगा।

P.T.O

8. उक्त स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
9. उक्त प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(हिमांशु कुमार राय)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: यो09 / S.H.A-12/2023

प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/ यो0वि0, पटना, दिनांक 29 जनवरी, 2025

ज्ञापांक: यो09 / S.H.A-12/2023

प्रतिलिपि: विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार / सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग / विभागीय लेखा एवं बजट शाखा / आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

/ यो0वि0, पटना, दिनांक 29 जनवरी, 2025

ज्ञापांक: यो09 / S.H.A-12/2023

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुंगेर एवं तिरहुत / अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, भवन निर्माण विभाग, भागलपुर एवं मोतिहारी / संबंधित जिला योजना पदाधिकारी / संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

/ यो0वि0, पटना, दिनांक 29 जनवरी, 2025

ज्ञापांक: यो09 / S.H.A-12/2023

प्रतिलिपि: प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर एवं तिरहुत / जिला पदाधिकारी, खगड़िया एवं शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

/ यो0वि0, पटना, दिनांक 29 जनवरी, 2025

ज्ञापांक: यो09 / S.H.A-12/2023

प्रतिलिपि: सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

/ यो0वि0, पटना, दिनांक 29 जनवरी, 2025

ज्ञापांक: यो09 / S.H.A-12/2023

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

/ यो0वि0, पटना, दिनांक 29 जनवरी, 2025

ज्ञापांक: यो09 / S.H.A-12/2023

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

/ यो0वि0, पटना, दिनांक 29 जनवरी, 2025

सरकार के विशेष सचिव